

# केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली

जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

## शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्ष 2022-23 प्रवेश हेतु अधिसूचना

दिनांक-22.11.2022

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के मुम्बई परिसर में शिक्षाशास्त्री कक्षा हेतु आवेदकों में से वरीयता क्रम एवं आरक्षण नियमों के अनुसार परामर्श (Counselling) के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की प्रथम सूची संलग्न है। परामर्श (Counselling) के लिये यह सूचना प्रवेश का अधिकार प्रदान नहीं करती। परामर्श (Counselling) के बाद चयनित प्रवेशार्थी को शुल्क online माध्यम से ही जमा कराना होगा। परामर्श (Counselling) हेतु निर्धारित तिथि में भौतिक रूप से/ऑनलाईन उपस्थित नहीं होने, निर्धारित शुल्क जमा न कराने अथवा आवश्यक दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत नहीं करने पर प्रवेश दिया जाना सम्भव नहीं होगा और प्रवेश की पात्रता स्वतः निरस्त मानी जायगी।

### आवश्यक प्रमाणपत्र-

- (3) शिक्षाशास्त्री के ऑन लाईन आवेदनपत्र। (Samarth Portal से छात्र स्वयं download करके परिसरीय समिति को प्रदान करें।)
- (4) Part B form (ऑन लाईन आवेदनपत्र के साथ परिसर में देना होगा। यह फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।)
- (3) जन्मतिथि के प्रमाण के लिये मैट्रिक/सेकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का प्रमाणपत्र तथा अंकतालिका।
- (4) प्राक्शास्त्री/उत्तरमध्यमा/उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक/समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका।
- (5) शास्त्री/बी.ए.(संस्कृत)/समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका।
- (6) आचार्य/एम.ए. (संस्कृत)/समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका (यदि हो)
- (7) यदि आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) से सम्बन्धित हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
- (8) दिव्यांग होने की स्थिति में चिकित्सक द्वारा प्रदत्त कम से कम 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता का स्पष्ट उल्लेख के साथ प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- (9) यदि आप क्रीडा एवं युद्ध आहत से सम्बन्धित हैं तो सम्बद्ध प्रमाणपत्र।
- (10) प्रव्रजन प्रमाणपत्र (Migration Certificate)
- (11) स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (यदि हो) एवं चरित्र प्रमाणपत्र। (Transfer Certificate (If available) & Character Certificate)
- (12) Academic Bank Credit (ABC) का पञ्जीकरण प्रपत्र।

### आवश्यक सूचनाएँ-

- सम्बन्धित परिसरों द्वारा निर्मित स्थानीय प्रवेश समिति के समक्ष पात्रता सिद्ध होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।
- प्रवेश निर्धारित तिथियों में ही दिया जाएगा।
- आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदनपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर ही आपको परामर्श (Counselling)/प्रवेश के लिए सूचना दी गई है। आपके द्वारा दी गई जानकारी वास्तविक जाँच में यदि असत्य पायी गयी तो आपको प्रवेश योग्य नहीं माना जाएगा। इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। प्रवेश के संबंध में स्थानीय प्रवेश समिति का निर्णय मान्य होगा।
- जो परिसर परामर्श (Counselling)/प्रवेश के लिये आवंटित किया गया है, उसी परिसर में आपको प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश के पश्चात् स्थानान्तरण नहीं होगा।
- प्रवेश समाप्त होने के पश्चात् विश्वविद्यालय के परिसरों में स्थान रिक्त होने पर उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों की सूची में से शेष प्रवेशार्थियों को नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा। उक्त सन्दर्भ में सूचना तत्समय विश्वविद्यालय की वेबसाइट ([www.sanskrit.nic.in](http://www.sanskrit.nic.in)) पर देखी जा सकती है।
- विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अतिरिक्त प्रवेश सम्बन्धी सूचना पोस्ट या अन्य माध्यम से नहीं भेजी जाएगी।
- प्रवेशार्थियों को भौतिक उपस्थिति या ऑनलाईन के माध्यम से आवंटित परिसर में ही परामर्श (Counselling) की सुविधा दी गई है। आवंटित परिसर में भौतिक रूप से उपस्थित प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों के सफल सत्यापन के पश्चात् स्थानीय प्रवेश समिति की अनुशंसा पर ही स्थायी प्रवेश एवं ऑन-लाईन के माध्यम से दस्तावेजों के सफल सत्यापन कराने वाले प्रवेशार्थियों को स्थानीय प्रवेश समिति की अनुशंसा पर अस्थायी प्रवेश दिया जायेगा। जिन प्रवेशार्थियों को

कृ.प.उ.

अस्थायी प्रवेश प्रदान किया जायेगा ऐसे प्रवेशार्थियों को शपथ पत्र देना होगा कि "मैं.....सामान्य परिस्थिति होने पर शैक्षिक रूप से आवंटित परिसर में मूल प्रमाणपत्रों के साथ उपस्थित होकर पुनः दस्तावेजों का सत्यापन कराऊंगा/ कराऊंगी तथा कि-हीं कारणों से असफल होने पर मेरा प्रवेश बिना किसी शर्त के निरस्त किया जा सकता है तथा मुझे यह भी ज्ञात है कि शैक्षिक सत्यापन में असफल होने पर मेरे द्वारा सम्पत्ति शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।"

- छात्रों को [www.abc.gov.in](http://www.abc.gov.in) लिंक पर जाकर पंजीकरण करना आवश्यक है। पंजीकरण के उपरान्त पंजीकरण की प्रतिलिपि प्रवेश समिति को प्रस्तुत करनी होगी।
- परामर्श (Counselling) हेतु आवंटित परिसर में शैक्षिक रूप से उपस्थित प्रवेशार्थियों को दस्तावेजों के सफल सत्यापन के पश्चात् प्रवेश शुल्क <https://sanskritcuet.samarth.edu.in/pg/> पर ऑनलाईन माध्यम से प्रथम सत्रार्द्ध के लिए 7500/- रु. जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा शुल्क प्राप्त होने पर ही प्रवेश मान्य होगा अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश शुल्क इस प्रकार देय होगा।

शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्ष	शिक्षाशास्त्री द्वितीय वर्ष
प्रथम सत्रार्द्ध-7500/- (5800+1700)	तृतीय सत्रार्द्ध-7500/- (5800+1700)
द्वितीय सत्रार्द्ध-1700/-	चतुर्थ सत्रार्द्ध-1700/-

- ऑनलाईन के माध्यम से दस्तावेजों के सफल सत्यापन के पश्चात् अस्थायी प्रवेश प्राप्त प्रवेशार्थियों का प्रवेश तभी स्थायी माना जायेगा, जब सम्बन्धित प्रवेशार्थी शैक्षिक रूप से आवंटित परिसर में समस्त मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर सत्यापन करायेगा।
- परामर्श (Counselling)/प्रवेश दिनांक 23.11.2022 प्रातः 10:30 बजे से 25.11.2022 सायं 05:00 बजे तक लिया जाएगा।
- प्रवेशार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित हो जाने के बाद दिनांक 01.12.2022 को परिसर में उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जाएगा।
- प्रवेश से सम्बन्धित अन्य जानकारी के लिए आवंटित परिसरों के सम्पर्क सूत्र निम्न प्रकार से हैं-

क्र.सं.	परिसर का नाम	सम्पर्क हेतु सम्बन्धित परिसरीय प्राध्यापक का नाम एवं दूरभाष
1.	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, के.जे. सोनिया परिसर, विद्या विहार (पूर्व), मुम्बई, महाराष्ट्र-400077	डा. दशरथ भरासागर 8917674678

B. Biswal  
( प्रो. बनमाली बिश्वाल )  
अधिष्ठाता (शैक्षिकवृत्त)